पत्रांक 1/स्था०वि० 24/2001 ज०सं० 5706 /

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई० सीता कान्त झा,
सरकार के संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार एवं झारखण्ड, पो० हिनू, राँची।

राँची, दिनांक : 28-9-13

विषय: जल संसाधन विभाग के अंतर्गत उत्तर कोयल बाँध योजना, डाल्टेनगंज/लेखा कार्यालय, जल संसाधन विभाग, राँची/वित्त पदाधिकारी, सुवर्णरेखा परियोजना ईकाई, जमशेदपुर एवं लेखा कार्यालय, जल संसाधन विभाग, देवघर के लिए **वित्तीय वर्ष 2013 14 (दिनांक 01.03.13 से 28.02.14) तक के लिए अवधि विस्तार हेतु रू० कुल व्यय 1,84,06,156.00 (एक करोड चौरासी लाख छः हजार एक सौ छप्पन रूपये) मात्र का पद सहित का अवधि विस्तार की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक जल संसाधन विभाग, पटना के स्वीकृत्यादेश संख्या वि०प० कोषांग 15/90/565 दिनांक 03.05.1990 द्वारा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर एवं राँची के प्रक्षेत्राधीन गैर योजना प्रमंडलों के लिए पूर्व एवं आंतरिक जाँच की प्रक्रिया लागू करते हुए लेखा कार्यालय राँची एवं देवघर की स्थापना की गई। लेखा कार्यालय डाल्टेनगंज का सृजन इसी उद्देश्य से 1972 में उत्तर कोयल बाँध योजना, डाल्टेनगंज में किया गया था।

वित्त पदाधिकारी, सुवर्णरेखा परियोजना ईकाई, जमशेदपुर कार्यालय का सृजन सिंचाई विभाग, बिहार पटना द्वारा वित्त विभाग की सहमति से पत्रांक एस०ई०आर० 466/65/3611 दिनांक 18.05.83 द्वारा विश्व बैंक की सहायता से सुवर्णरेखा परियोजना के प्रार्दुभाव के साथ किया गया था।

इन कार्यालयों का उनसे सम्बद्ध पदों के साथ प्रति वर्ष अवधि विस्तार किया जाता रहा है। वित्तीय वर्ष 2001 02 में झारखण्ड के राज्यादेश संख्या 1112 दिनांक 01.03.2002 द्वारा इन कार्यालयों का अवधि विस्तार किया गया था।

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2002 03 में दिनांक 01.03.2002 से 28.02.2003 तक के लिए रू० 67,17,270/ (सड़सठ लाख सत्तरह हजार दो सौ सत्तर रूपये) मात्र के लिए विभागीय पत्रांक 4073 दिनांक 28.12.2002 द्वारा अवधि विस्तार दी गई थी।

वित्तीय वर्ष 2003 04 में दिनांक 01.03.03 से 31.08.03 तक के लिए रू० 34,70165/ (चौंतीस लाख सत्तर हजार एक सौ पैंसठ) की अवधि विस्तार विभागीय पत्रांक 4154 दिनांक 23.08.03 द्वारा दी गई थी। पुनः दिनांक 01.09.2003 से 29.02.2004 तक के लिए 34,70,165/ (चौंतीस लाख सत्तर हजार एक सौ पैंसठ रूपये) मात्र की अवधि विस्तार विभागीय पत्रांक 1419 दिनांक 22.03.2004 द्वारा दी गई थी।

वित्तीय वर्ष 2004 05 (अंश) के लिए 01.03.2004 से 30.06.2004 हेतु अनुमानित व्यय के लिए रू० 23,13,445 (तेईस लाख तेरह हजार चार सौ पैंतालीस रूपये) मात्र की अवधि विस्तार की स्वीकृति की गई थी। पुनः वित्तीय वर्ष 2004 05 (अंश) (दिनांक 01.07.2004 से 28.02.2005) तक के लिए अवधि विस्तार हेतु 53,44,555/ (तिरपन लाख चौवालीस हजार पाँच सौ पचपन रूपये) मात्र गठित पदों का अवधि विस्तार की स्वीकृति विभागीय पत्रांक 4950 दिनांक 17.10.2004 द्वारा की गई थी।

(51)

पुनः विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 दिनांक 01.03.05 से 28.02.06 तक पद सहित 61,46,989/- (इकसठ लाख छियालीस हजार नौ सौ नवासी रूपये) मात्र की अवधि विस्तार की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2006-07 (दिनांक 01.03.06 से 28.02.2007 तक) पद सहित रू० 84,06,519/- (चौरासी लाख छः हजार पाँच सौ उन्नीस रूपये) की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2007-08 (दिनांक 01.03.2007 से 29.02.2008 तक) पद सहित रू० 80,10,320/- (अस्सी लाख दस हजार तीन सौ बीस रूपये) मात्र का अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई थी। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए रू० 85,32,686/- (पचासी लाख बत्तीस हजार छः सौ छियासी रूपये) के अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए दिनांक 01.03.2009 से 28.02.2010 तक पद सहित रूपये 1,18,01,959/- (एक करोड अठारह लाख एक हजार नौ सौ उनसठ रूपये) मात्र की अवधि विस्तार की स्वीकृति विभागीय पत्रांक 4144 दिनांक 21.10.09 द्वारा प्रदान की गई थी। तथा विभागीय पत्रांक 4662 दिनांक 27.11.10 द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए पद सहित राशि 1,51,27,181/ (रू० एक करोड इकावन लाख सताईस हजार एक सौ एकासी रूपये) मात्र की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई थी।

विभागीय पत्रांक 5249 दिनांक 25.10.11 द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए पद सहित राशि 1,68,61,347 (एक करोड अरसठ लाख एकसठ हजार तीन सौ चौहत्तर) रूपये मात्र की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई थी।

विभागीय पत्रांक 5914 दिनांक 15.10.12 द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए पद सहित राशि 1,72,64,548 (एक करोड बहत्तर लाख चौसठ हजार पाँच सौ अडतालीस रूपये) मात्र की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई थी।

वितीय वर्ष 2013-14 के अंतर्गत दिनांक 01.03.13 से 28.02.14 तक वेतन मद में संभावित सीमित व्यय विवरणी निम्न प्रकार है :-

	कार्यालय का नाम	वेतन/ महंगाई भत्ता	एल०टी० सी०	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	लेखा पदाधिकारी, उत्तर कोयल योजना डालटेनगंज	10,40,052	—	15000	49000		2500		1106552
2	लेखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, राँची	4370436	3000	75000	40000	—	5000	—	4493436
3	लेखा पदाधिकारी जल संसाधन विभाग देवघर	3136680	8000	85000	20000	—	5000	—	3254680
4	वित्त पदाधिकारी, सुवर्णरेखा परियोजना ईकाई आदित्यपुर जमशेदपुर	9405788	—	41000	59000	20000	20000	5700	9551488
	कुल	17952956	11000	216000	168000	20000	32500	5700	18406156
		(एक करोड चौरासी लाख छः हजार एक सौ छप्पन रूपये) मात्र							

वित्तीय वर्ष 2013-14 तक के लिए अवधि विस्तार हेतु संभावित व्यय कुल रूपये 18406156.00/- (एक करोड चौरासी लाख छः हजार एक सौ छप्पन रूपये) मात्र का पद सहित अवधि विस्तार की स्वीकृति दी जाती है।

व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्यय शीर्ष 2701 मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष 03, मध्यम सिंचाई (वाणिज्यिक) लघु शीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष 06

छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना विस्तृत शीर्ष- 01 वेतन एवं भत्ता के अंतर्गत गैर योजना मद में की जायेगी।

लेखा कार्यालयों के लिए किसी भी परिस्थिति में उक्त कार्यालयों के लिए बजट उपबंध एवं आवंटन से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा। इस राज्यादेश को झारखण्ड सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वयन विभाग के संकल्प सं॰-4152 दिनांक 18.12.2001 के कंडिका 2(1) के तहत स्वीकृति दी गई है। प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

27/9/13

(सीता कान्त झा)
सरकार के संयुक्त सचिव (प्र॰)।

ज्ञापांक : 5706 रॉची, दिनांक : 28-9-13

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित पदाधिकारी/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/9/13

(सीता कान्त झा)
सरकार के संयुक्त सचिव (प्र॰)।

ज्ञापांक :- 5706 रॉची, दिनांक :- 28-9-13

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/9/13

(सीता कान्त झा)
सरकार के संयुक्त सचिव (प्र॰)।

ज्ञापांक : 5706 रॉची, दिनांक :- 28-9-13

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, रॉची (दो प्रतियों में) सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/संयुक्त सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/9/13

(सीता कान्त झा)
सरकार के संयुक्त सचिव (प्र॰)।

ज्ञापांक : 5706 रॉची, दिनांक :- 28-9-13

प्रतिलिपि :- वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, रॉची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/9/13

(सीता कान्त झा)
सरकार के संयुक्त सचिव (प्र॰)।

27/9/13